

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-135/2025

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० आरुशी अनुप्रिया, ट्यूटर (टेन्योर-BHS), पैथोलॉजी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलाक में दिनांक-20.07.2025 से 14.01.2026 तक कुल-179 (एक सौ उनासी) दिनों का प्रथम संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध- 01-135/2025- 805(17) पटना, दिनांक :-09/07/2026

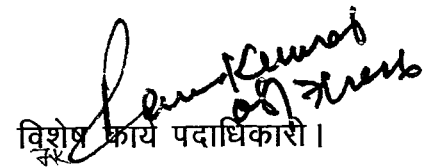
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० आरुशी अनुप्रिया, ट्यूटर (टेन्योर-BHS), पैथोलॉजी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।